न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, दशम, दरभंगा
पीठासीन पदाधिकारी : आदि देव
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–648/2026
(अब्दुल रहिम उर्फ अब्दुर रहिम बनाम राज्य सरकार)

==========

1. अब्दुल रहिम उर्फ अब्दुर रहिम पे0 मो0 अमिर हसन.....आवेदक

बनाम

1. बिहार सरकार.....विपक्षी

==========

आवेदक की ओर से : मो0 मुर्शिद अंसारी, विद्वान अधिवक्ता

विपक्षी (राज्य) की ओर सेः श्री अमरेन्द्र नारायण झा, विद्वान लोक अभियोजक

==========

आदेश

30-05-2026 1. यह अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक **अब्दुल रहिम उर्फ अब्दुर रहिम** की ओर से मनीगाछी थाना काण्ड संख्या 197/2012 **(**विद्वान श्री प्रमोद कुमार, जे0एम0एफ0सी0, दरभंगा के न्यायालय में लम्बित**)** के अंतर्गत आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 406, 420, 34 भा0द0सं0–1860 में अपनी गिरफ्तारी की आशंका से बचने के लिए दाखिल किया है।

2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान लोक अभियोजक को सुना गया।

3. सूचक मो0 नबीहसन के अनुसार घटना संक्षेप में यह है कि अब्दुल रहिम ने पॉच सौ रूपया प्रति हजार ईटा बनाने के दर से सूचक से बात की । सूचक ने इस मौखिक करार के अनुसार करीब छब्बीस लाख बीस हजार ईटें बनाई और उसका कुल मूल्य तेरह लाख दस हजार रूपया बनता है। जिसमें से सूचक को थोड़ा थोड़ा पैसा दिया था। दो लाख साठ हजार रूपया अब्दुल रहिम पर बॉकी रह गया। जिसे अभियुक्त ने नहीं दिया।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक के द्वारा इस केस में कोई भी जमानत आवेदन न तो इस न्यायालय में और न ही माननीय उच्च न्यायालय पटना में दाखिल किया गया है और ना ही कहीं लम्बित है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास दर्ज नहीं है। आवेदक बिल्कुल निर्दोष हैं तथा उसने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक को इस मामले में झूठा फॅसाया गया है। आवेदक को अन्वेषण के दौरान सी0आर0पी0सी0 की धारा 41(1) का लाभ दिया गया है। आवेदक स्थानीय व्यक्ति है और उसके भागने की कोई संभावना नहीं है तथा सी0आर0पी0सी0 की धारा 438(2) के सभी शर्तों को मानने के लिए तैयार है। इसलिए आवेदक को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान करने की कृपा की जाय।

5. विद्वान लोक अभियोजक द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया गया तथा आवेदन को अस्वीकृत करने का प्रार्थना किया गया।

6. अभिलेख तथा कांड दैनिकी का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक के विरूद्ध भा0 दं0 सं0–1860 की धारा 406, 420, 34 के अंतर्गत आरोप पत्र समर्पित

न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, दशम, दरभंगा
पीठासीन पदाधिकारी : आदि देव
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–648/2026
(अब्दुल रहिम उर्फ अब्दुर रहिम बनाम राज्य सरकार)

किया गया है। साक्ष्य को प्रभावित करने की संभावना नगण्य है। अन्वेषण पूर्ण हो चुका है। आवेदक को अन्वेषण के दौरान सी0आर0पी0सी0 की धारा 41(1) का नोटिस का लाभ दिया गया है। प्रस्तुत मामले में बकाया राशि अदा न करने का विवाद है।

7. उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितिओं का अवलोकन करते हुए आवेदक **अब्दुल रहिम उर्फ अब्दुर रहिम पे0 मो0 अमिर हसन** को सी0आर0पी0सी0 की धारा 438(2) के शर्तों के अधीन न्यायालय विद्वान श्री प्रमोद कुमार, जे0एम0एफ0सी0, दरभंगा में इस आदेश के प्राप्त होने के **15 दिनों** के अंदर आत्मसमर्पण करने अथवा गिरफ्तार होने की दशा में 10,000/– (**दस हजार)** रूपये राशि के दो समान प्रतिभूओं के द्वारा बंध–पत्र दाखिल करने पर अग्रिम जमानत पर छोड़ने का आदेश इस शर्त के साथ दिया जाता है कि एक जमानतदार नजदीकी रिश्तेदार होंगे।

लेखापित एवं त्रुटिशोधित,

ह0/–
(आदि देव)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, दशम
दरभंगा।